न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी नेहा राठी आर०ए०एस

मुकदमा नं0 41/2024

रामलाल पुत्र मंगला जाति कुम्हार निवारी नवोडी ढाणी हिंगोनिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान। प्रार्थी

बनाम

1. अर्जुनलाल पुत्र मंगला
2. मोहनलाल पुत्र मंगला
3. श्रीपाल पुत्र मंगला
4. बाबुलाल पुत्र मंगला
5. सोनीदेवी पत्नि मंगला
6. प्रभातीदेवी पुत्री मंगला
7. सुशीलादेवी पुत्री मंगला
8. लाडादेवी पुत्री मंगला

समस्त जाति कुम्हार निवासी नचोडी ढाणी हिंगोनिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोबनेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट रेवन्यू एक्ट 1956 बाबत दुरूस्त किये जाने राजस्व रिकार्ड

उपस्थित :– 1. श्री श्रवण जाखड विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी

2. श्री आशीष कुमावत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1लगा08

3. सरकार पैरोकार

दिनांक :– 26/09/2025

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि खाता सं० 156 आराजी खसरा नंबर 66/2 रकबा 0. 0126 हैक्टेयर किस्म बारानी–2, एवं खाता नंबर 157 आराजी खसरा नम्बर 167, 168, 169, 170, 171, 172, 178, 179, 180, 181 कुल खसरे 10 कुल रकबा 5.3489 हैक्टेयर एवं खाता नंबर 158 खसरा नंबर 206 रकबा 0.8472 हैक्टेयर किस्म बारानी–1, खसरा नंबर 58 रकबा 1.5806 हैक्टेयर किस्म बाराबी–1 कुल खसरे 2 कुल रकबा 2.4278 हैक्टेयर एवं खाता नंबर 159 आराजी खसरा नंबर 68 रकवा 8.5480 हैक्टेयर किस्म

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

बारानी–2, खसरा नंबर 73 रकबा 1.8841 हैक्टेयर किस्म बारानी–2 कुल खसरे 2 कुल रकबा 10.4321 हैक्टेयर वाके ग्राम हिंगोनिया पटवार हल्का हिंगोलिया गिरदावर हल्का हिंगोनिया तह० जोबनेर जिला जयपुर राज० में स्थित हैं जिसमे प्रार्थी का 1/144 हिस्सा है एवं प्रार्थी काबिज काश्त है। उक्त आराजीयात में प्रार्थी की खातेदारी रामपाल पुत्र मंगला हिस्सा 1/144 दर्ज है जबकि प्रार्थी का नाम रामलाल पुत्र मंगला है प्रार्थी की पेतृक आराजी है प्रार्थी के पिता मंगला की मृत्यु के पश्चात फौती नामा० संख्या 1468 व नामा० सख्यां 1493 के द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 के नाम से नामान्तरण खोला गया, जिसमें नामा. संख्या 1468 मे प्रार्थी का नाम रामलाल पुत्र मंगला जाति कुम्हार के नाम से खातेदारी सही दर्ज की गई व नामा० संख्या 1493 मे रामलाल के बजाय रामपाल के नाम से नामान्तकरण खोला गया जो कि रामलाल पुत्र मंगला के नाम से होना चाहिए था किन्तु प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में नाम लिपिकिय त्रृटि से रामलाल पुत्र मंगला की जगह रामपाल पुत्र मंगला दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी समस्त सरकारी दस्तावेज के रामलाल पुत्र मंगला ही दर्ज है उक्त आराजी में रामपाल पुत्र मंगला दर्ज होने से प्रार्थी को ऋण इत्यादि लेने मे तथा जमीन को विकसित करने में तथा तकासमा कराने तथा सरकार द्वारा दी जाने वाली मुआवजा राशि प्राप्त करने मे असुविधा हो रही है। इसलिए प्रार्थी की जमाबंदी में अंकित खातेदारी रामपाल पुत्र मंगला को दुरुस्त किया जाकर रामलाल पुत्र मंगला दर्ज किया जाना आवश्यक है। इसलिए यह दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी के वोटर आई.डी. व राशनकार्ड तथा अन्य सरकारी दस्तावेजो में एंव अन्य आराजी खाता नंबर 255, में प्रार्थी का नाम रामलाल पुत्र मंगला ही दर्ज है। इसलिए राजस्व रिकार्ड मे भी प्रार्थी का नाम रामलाल पुत्र मंगला दर्ज किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। जिससे प्रार्थी को भूमि विकास एंव ऋण आदि एंव सरकारी सुविधाओ मे असुविधा न हो सके।

अतः प्रार्थना पत्र मय हलफनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि पेरा नम्बर 01 में वर्णित आराजी खाता सं० 156,157,158,159 वाके हिगोनिंया प०ह० हिगोनिंया तह० जोबनेर मे प्रार्थी का नाम जो रामपाल पुत्र मंगला राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसको दुरूस्त करके रामलाल पुत्र मंगला दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 8 मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 8 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर अनापत्ति जाहीर कि गयी। अप्रार्थी सं0 9 तहसीलदार जोबनेर ने

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

दिनांक 08/07/2025 द्वारा जवाब तथा फर्द मौका रिपोर्ट इस आशय की पेश है कि ग्राम हिंगोनिया के वर्तमान आराजी संख्या 166,167,168,169 में वादी का नाम रामलाल पुत्र मंगला हिस्सा 1/144 जाति कुम्हार सा.देह वगैरह दर्ज रिकॉर्ड है जमाबन्दी संलग्न है एवं खाता संख्या 78,255 में में वादी का नाम रामलाल पुत्र मंगला हिस्सा 1/288 जाति कुम्हार वगैरह सा.देह दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम हिंगोनियां के नामांन्तकरण संख्या 1468 में प्रार्थी की विरासत नामान्तकरण में रामलाल पुत्र मंगला दर्ज किया गया है जबकी ग्राम हिंगोनिया के ही नामान्तकरण संख्या 1493 विरासत में रामपाल पुत्र मंगला दर्ज किया गया है। मौके पर जानकारी में आया कि रामलाल पुत्र मंगला व रामपाल पुत्र मंगला दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है दोनो नाम से एक ही व्यक्ति का होना बताया गया। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के संलग्न मौका रिपोर्ट के अनुसार रामलाल पुत्र मंगला एवं रामपाल पुत्र मंगला दोनों एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र इत्यादि दस्तावेजों में भी रामलाल पुत्र मंगला दर्ज है। जबकि जमाबंदी संवत 2075–78 ग्राम हिंगोनिया में खाता सं0 159, 158, 157, 156 में रामपाल पुत्र मंगला दर्ज है। जबकि खाता सं0 255 में रामलाल पुत्र मंगला दर्ज है। ग्राम हिगोनियां के नामांन्तकरण संख्या 1468 में प्रार्थी की विरासत नामान्तकरण में रामलाल पुत्र मंगला दर्ज किया गया है जबकी ग्राम हिंगोनिया के ही नामान्तकरण संख्या 1493 विरासत में रामपाल पुत्र मंगला दर्ज किया गया है। नामा. संख्या 1493 में सहवन से रामपाल पुत्र मंगला दर्ज हो गया था जबकि नामा. संख्या 1463 में रामलाल पुत्र मंगला सही दर्ज है। अतः मुताबिक दस्तावेजों एवं मौके पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताए अनुसार रामपाल के बजाय रामलाल किया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में सह खातेदार श्री सीताराम पुत्र श्री छोटू एवं कजोड पुत्र छोटू के शपथ पत्र पेश किये गये।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, जवाब तहसीलदार एवं फर्द मौका रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया। आराजी खसरा नंबर 66/2 रकबा 0. 0126 हैक्टेयर, आराजी खसरा नम्बर 167, 168, 169, 170, 171, 172, 178, 179, 180, 181 कुल किता 10 कुल रकबा 5.3489 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 206 रकबा 0.8472 हैक्टेयर, खसरा नंबर 58 रकबा 1.5806 हैक्टेयर, आराजी खसरा नंबर 68 रकबा 8.5480 हैक्टेयर खसरा नंबर 73 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

1.8841 हैक्टेयर वाके ग्राम हिंगोनिया तह0 जोबनेर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार हिस्सा दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम रामपाल पुत्र मंगला दर्ज है। जबकि अन्य दस्तावेज यथा परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं निर्वाचन पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम रामलाल पुत्र मंगला दर्ज है। ग्राम में उपस्थित मौतविरानों ने बताया है रामपाल पुत्र मंगला एवं रामलाल पुत्र मंगला एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम रामपाल पुत्र मंगला को शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि:–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् दुरूस्त किये जाने राजस्व रिकार्ड स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम हिंगोनिया के विवादग्रस्त आराजी आराजी खसरा नंबर 66/2 रकबा 0. 0126 हैक्टेयर, आराजी खसरा नम्बर 167, 168, 169, 170, 171, 172, 178, 179, 180, 181 कुल किता 10 कुल रकबा 5.3489 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 206 रकबा 0.8472 हैक्टेयर, खसरा नंबर 58 रकबा 1.5806 हैक्टेयर, आराजी खसरा नंबर 68 रकवा 8.5480 हैक्टेयर खसरा नंबर 73 रकबा 1.8841 हैक्टेयर प्रार्थी का नाम रामपाल पुत्र मंगला के स्थान पर रामलाल पुत्र मंगला दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किया जाते है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट निर्णय के साथ जुज रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा राठौड RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर